समिति को सौंपे गए कार्य

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

समिति की पहली बैठक में ही विभिन्न विभागों/उपक्रमों/कार्यालयों आदि में मौके पर जाकर निरीक्षण करने और हिन्दी के प्रयोग संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के लिए तीन उपसमितियों के गठन का निर्णय लिया गया था। संघ का शासकीय कार्य राजभाषा हिन्दी में निष्पादित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संघ के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समूचे देश में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के निरीक्षणों के माध्यम से समीक्षा करना और अपनी सिफ़ारिश करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एक अभीष्ट कार्य है। समिति इस कार्य से जहां एक ओर समूचे देश में केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का जायजा लेती है वहीं दूसरी ओर महामहिम राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भारत देश में हिंदी को राजभाषा का अपेक्षित अधिकार दिलाने में होने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करती है।

किसी भी नीति के सफल कार्यान्वयन में अन्य पक्षों के साथ-साथ निरीक्षण व्यवस्था एक अहम भूमिका का निर्वाह करती है। ये निरीक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास नहीं हुआ करते वरन ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में वे पड़ाव हैं जहां पर बैठकर हम चिंतन-मनन करते हैं और अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए भावी कार्यनीति तैयार करते हैं।

****